



2026:AHC:29551

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट- सी संख्या 5158 सन् 2026

अनिल कुमार

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

..... प्रत्यर्थागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : राजेश दत्ता पांडे

प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता : अविनाश चंद्र श्रीवास्तव, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रत्यर्थागण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता के तर्कों को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. इस याचिका में पारित किए जाने वाले आदेश को देखते हुए, निजी प्रत्यर्थागण को नोटिस भेजकर इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखना उचित नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी पक्षकार आदेश से असंतुष्ट हैं, तो उन्हें आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. इस याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल अनुतोष यह है कि प्रत्यर्था संख्या 2 /तहसीलदार, तहसील सदर, मथुरा को निर्देश दिया जाए कि वह मामला संख्या टी० एम० 2019001500102369 (मुकेश गोयल बनाम अनूप सिंह एवं अन्य) में दाखिल वापसी/ पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र संख्या 10.01.2025 पर शीघ्रता से निर्णय लें।
4. यह मामला प्रत्यर्था संख्या 2 के समक्ष लंबे समय से लंबित है और काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, याचिका का निपटारा करते हुए प्रत्यर्था संख्या 2 /तहसीलदार, तहसील सदर, मथुरा को उपरोक्त मामले में दाखिल वापसी पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र पर विधि के अनुसार, अत्यंत शीघ्रता से और अधिमानतः तीन महीने की अवधि के भीतर प्रत्यर्था संख्या 2 के समक्ष प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से, निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है लेकिन जब तक कोई कानूनी बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन न दिया जाए।

2

10 फरवरी, 2026

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

सकलैन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"